भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 731**
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल कनेक्शन**

**†731. श्री राजेश वर्माः**
**श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः**
**श्रीमती शांभवीः**
**श्री नरेश गणपत म्हस्केः**
**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार 2025 तक ग्रामीण भारत में नल जल कनेक्शन पूरा करने की दिशा में अग्रसर है और यदि हाँ, तो जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्तमान में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल जल तक पहुँच मिली है और अभी तक कितने परिवारों को नल जल प्राप्त नहीं हुआ है;
(ग) पूर्ण नल जल कवरेज प्राप्त करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(घ) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी लक्ष्यों की स्थिति क्या है और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गाँवों को बनाए रखने के लिए क्या पहलें की गई हैं; और
(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान नल जल कनेक्शन और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार ने अगस्त 2019 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। केंद्र और राज्यों दोनों के ठोस प्रयासों से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.44 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने की सूचना है। इस प्रकार, 21.07.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.94%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अनुसार शेष 3.69 करोड़ परिवारों के लिए निर्माण कार्य पूरे होने के विभिन्न चरणों में हैं।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से कवरेज प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

(ग) राज्यों ने सूचित किया है कि जल संकटग्रस्त, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने संबंधी तकनीकी क्षमता की कमी, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, वैधानिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं।

चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इनका समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामांकन; राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना तथा कार्यक्रम प्रबंधन के लिए तकनीकी कौशल सेटों और मानव संसाधन की उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु *"नल जल मित्र"* कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

मिशन के अंतर्गत राज्यों को अन्य स्कीमों जैसे मनरेगा, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), 15वें वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पीआरआई को अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के साथ तालमेल स्थापित करते हुए स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित

बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग करने, आदि की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान देश के 256 जल संकट वाले जिलों में लोगों की भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2019 में शुरू किया गया था। इसके अलावा, विशेष रूप से पेयजल उपलब्धता के लिए स्थायी जल प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करते हुए, जेएसए-सीटीआर को 2023 में "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" और 2024 में "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय के साथ कार्यान्वित किया गया था। इसी प्रकार, 2025 में जेएसए को जल संरक्षण के क्षेत्र में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए *"जल संरक्षण के लिए जन कार्रवाई - गहन सामुदायिक सहबद्धता की ओर"* विषय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] का चरण-II 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने और सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ कवर करने अर्थात् गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) में परिवर्तित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 21.07.2025 तक 4,70,834 गांवों को ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित किया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

| | जल जीवन मिशन | | स्वच्छ भरत मिशन (ग्रामीण) | |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष | आवंटित | उपयोग | आवंटित | उपयोग |
| 2022-23 | 55,000.00 | 54,839.79 | 5000.00 | 4925.14 |
| 2023-24 | 70,000.00 | 69,992.37 | 7000.00 | 6802.58 |
| 2024-25 | 22,694.00 | 22,638.44 | 7192.00 | 3622.00 |

*****